Dainek Jagran.

पटना, 17 जून 2011

खाद्यान्न परिवहन को वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश

पटना, जागरण ब्यूरो: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्याम रजक ने जिलाधिकारी पटना को निदेश दिया है कि जो ट्रक मालिक एवं अन्य तत्व खाद्यान्न के परिवहन कार्य में बाधा पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये तथा राज्य खाद्य निगम को आवश्यक संख्या में वाहन अधिकृत कर उपलब्ध कराया जाये ताकि निर्धारित अवधि में खाद्यान्न का उठाव संभव हो सके।

उन्होंने कहा कि पटना जिले के लिए परिवहनकर्ता से संबंधित निविदा की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाये ताकि परिवहन अभिकर्ता की नियुक्ति शीघ्र हो सके। श्री रजक गुरुवार को लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न योजनाओं के खाद्यान्न के परिवहन को ट्रक मालिकों द्वारा बाधित किये जाने एवं जिले में कूपन वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।